रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 26, 1991/पौष 5, 1913
No. 51] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26, 1991/PAUSA 5, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1991

फा.सं. आ.वि.प. 213(1)/91-वि. 21609:—मैं, आर. श्रीनिवासन, अवर सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 3(1)(ख) के अधीन भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् में लाइसेंस प्राप्त ग्रुप से निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन अधिकारी इसके द्वारा उन सभी व्यक्तियों को, जिनके नाम किसी भी राज्य चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज हैं और जो अधिनियम की तृतीय अनुसूची के भाग 3 में सम्मिलित चिकित्सा योग्यताएं रखते हैं, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (लाइसेंस प्राप्त का निर्वाचन) नियम, 1965 के उप-बन्धों के अनुसार, जिनके उद्धरण परिशिष्ट में दिए गए हैं, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के सदस्य होने के लिए अपने आप में से सात सदस्य निर्वाचित करने का आह्वान करता हूं।

2. निर्वाचन कराने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित समय अनुसूची निर्धारित की गई है :—

(क) नामांकन पत्र प्राप्ति तथा उनकी समीक्षा	शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी, 1992 को 5.00 बजे अपराह्न तक
(ख) नामांकन पत्रों की संवीक्षा	शनिवार, दिनांक 15 फरवरी, 1992
(ग) नाम वापसी	शनिवार, दिनांक 22 फरवरी, 1992
(घ) निर्वाचकों को मतपत्रों का प्रेषण	बृहस्पतिवार, दिनांक 27 फरवरी, 1992
(ङ) निर्वाचन की तारीख (निर्वाचन अधिकारी द्वारा मत पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख)	शनिवार, दिनांक 28 मार्च, 1992 को 5.00 बजे अपराह्न तक
(च) मतों की समीक्षा तथा गणना	रविवार, दिनांक 29 मार्च, 1992 को 11.00 बजे पूर्वाह्न

(छ) परिणाम की घोषणा	29 मार्च, 1992
(ज) पत्राचार का पता	आर श्रीनिवासन, लाइसेंस प्राप्त ग्रुप से निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी मार्फत--भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, अइवाने गालिब मार्ग, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002

3 नियमों के अंतर्गत निर्वाचन के लिए अर्हक कोई भी व्यक्ति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में मनोनीत किया जा सकेगा। ऐसा नामांकन फार्म I में नामांकन पत्र द्वारा किया जाएगा, जो इसके लिए आवेदन करने पर किसी भी निर्वाचक को निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। इस संबंध में नामांकन पत्र प्राप्ति की निर्धारित तारीख तथा समय से पहले प्राप्त न होने वाला नामांकन पत्र नामंजूर कर दिया जाएगा।

4 कोई भी उम्मीदवार नामांकन पत्रों की संवीक्षा के बाद सात दिन के अन्दर अपने हस्ताक्षर द्वारा लिखित सूचना के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी को ऐसी सूचना सौंपकर अपना नाम वापिस ले सकेगा। अपना नाम वापिस लेने वाले किसी उम्मीदवार को नाम वापसी रद्द करने या उसी निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में पुन: मनोनीत किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5 निर्वाचन अधिकारी द्वारा अगली कारवाई नियमों के अनुसार तथा ऊपर दी गई समय अनुसूची के अनुसार दी जाएगी।

आर श्रीनिवासन, निर्वाचन अधिकारी

परिशिष्ट

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (लाइसेंस प्राप्त का निर्वाचन)

नियम 1965 में नियम 3–10 के उद्धरण

3 ऐसे सभी व्यक्ति जिनका नाम किसी भी राज्य चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज है और जो अधिनियम की तृतीय अनुसूची के भाग 1 में सम्मिलित चिकित्सा योग्यताएं रखते हैं, अधिनियम की धारा 3(1)(घ) के अधीन सदस्य के निर्वाचन के लिए मत देने और ऐसे निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़े होने के हकदार होंगे।

4 तृतीय अनुसूची के भाग 1 में सम्मिलित चिकित्सा योग्यताएं रखने वाले ऐसे चिकित्सा व्यावसायियों में संबंधित धारा 21 के अन्तर्गत रखा जाने वाला चिकित्सा व्यावसायियों का रजिस्टर जिसे भारतीय चिकित्सा रजिस्टर कहा जाता है, धारा 3(1)(घ) में विनिर्दिष्ट निर्वाचकों के लिए निर्वाचक नियमावली होगा। निर्वाचन की सूचना प्राप्त होने के 60 दिन के अन्दर राज्य चिकित्सा परिषद् का प्रत्येक रजिस्ट्रार निर्वाचन अधिकारी को ऐसे सभी परिवर्तन तथा परिवर्धन सूचित करेगा जो उक्त रजिस्टर में किए गए हैं ताकि वे अद्यतन हो सकें। रजिस्टर की प्रतियां और सूची या सूचियां, यदि कोई हैं, निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय और राज्य चिकित्सा परिषदों के कार्यालयों को भेजी जाएंगी।

5 निर्वाचन अधिकारी परिषद द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन नियमावली में सम्मिलित व्यक्तियों का आह्वान करेगा।

6 यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति निर्वाचन मत देने का हकदार है या नहीं है या निर्वाचन के लिए खड़े होने का हकदार है या नहीं है तो ऐसा प्रश्न निर्वाचन अधिकारी को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

7 निर्वाचन अधिकारी निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए तारीख, समय तथा स्थान अपने विवेकानुसार नियुक्त करेगा और शासकीय राजपत्र में अधिसूचित करेगा --

(क) नामांकन पत्रों का प्राप्ति तथा उनकी संवीक्षा।

(ख) निर्वाचकों को मत पत्र प्रेषण।

(ग) निर्वाचन, और

(घ) मतों की संवीक्षा और गणना

8 इन नियमों के अन्तर्गत निर्वाचन के लिए खड़े होने का अर्हक कोई व्यक्ति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में मनोनीत किया जा सकेगा। ऐसा नामांकन फार्म 1 में नामांकन पत्र के माध्यम से किया जाएगा जो इसके लिए आवेदन करने वाले किसी निर्वाचक को निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिया जाएगा।

9 (1) प्रत्येक नामांकन पत्र दो निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावक और समर्थक के रूप में किया जाएगा

बशर्ते कि कोई भी निर्वाचक भरे जाने वाले स्थानों से अधिक संख्या में नामांकन पत्र नहीं दे सकेगा।

परन्तु यह भी कि यदि किसी निर्वाचक द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक नामांकन पत्र दिए जाते हैं तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा अन्यथा नियमानुकूल पाए जाने वाले पहले प्राप्त नामांकन पत्रों की निर्धारित संख्या वैध मानी जाएगी और यदि किसी निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित संख्या से अधिक नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक साथ प्राप्त होते हैं तो ऐसे सभी नामांकन पत्र अवैध करार किए जाएंगे।

(2) प्रत्येक नामांकन पत्र प्राप्त होने पर निर्वाचन अधिकारी उस पर तत्काल प्राप्ति की तारीख तथा समय दर्ज करेगा।

10 नियत तारीख तथा समय से पहले प्राप्त न होने वाले पत्र नियमानुसार रद्द कर दिए जाएंगे।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 1991

F. No. MCI-213(1)/91- Med/21609.—I, R. Srinivasan, Under Secretary to the Government of India, Ministry of Health & Family Welfare and Returning Officer for conduct of election of Licentiates on the Medical Council of India under section 3(1)(d) of the Indian Medical Council Act, 1956, hereby call upon all persons whose names are enrolled on any of the State Medical Registers and who possess the medical qualifications included in Part I of the Third Schedule to the Act to elect seven members from among themselves to be members of the Medical Council of India in accordance with the provisions of the Indian Medical Council (Election of Licentiate) Rules, 1965, extracts of which are given in Appendix.

2. The following time schedule is prescribed for the conduct of election :

(a) Receipt of nomination papers and their scrutiny	5 P.M. Friday the 14th February, 1992.
(b) Scrutiny of nomination papers	Saturday the 15th February, 1992
(c) Withdrawal of candidature	Saturday the 22nd February, 1992
(d) Despatch of voting papers to the electors	Thursday the 27th February, 1992
(e) Date of poll (voting papers to be received by the Returning Officer before).	5 P.M. Saturday, the 28th March, 1992
(f) Scrutiny and counting of votes	11 A.M. Sunday, the 29th March, 1992
(g) Declaration of results	29th March, 1992
(h) Address to which communication to be sent,	R. Srinivasan, Returning Officer for election of Licentiates, /C/o Medical Council of India, Aiwan-e-Ghalib Marg Kotla Road, New Delhi-110002.

3. Any person qualified to stand for election under the Rules may be nominated as a candidate for election. Such nomination shall be made by means of a nomination paper in Form I which shall be supplied by the Returning Officer to any elector who may apply for the same. A nomination paper which is not received before the date and time appointed in that behalf shall be rejected.

4. Any candidate may withdraw his candidature within seven days after the scrutiny of the nomination papers by notice in writing signed by him and delivered to the Returning Officer. A candidate who has withdrawn his candiature shall not be allowed to cancel the withdrawal or to be re-nominated as a candidate for the same election.

5. Further action will be taken by the Returning Officer in accordance with the Rules and the time schedule indidated above.

R. SRINIVASAN, Returning Officer

EXTRACTS OF RULES 3—10 FROM INDIAN MEDICAL COUNCIL (ELECTION OF LICENTIATES) RULES, 1965

3. All persons whose names enrolled on any of the State Medical Registers and who possess the medical qualifications included in Part I of the Third Schedule to the Act shall be entitled to vote at the election of a member under section 3(1)(d) and to stand as candidates for such election

The register of medical practitioners known as the Indian Medical Register maintained under section 21 in so far as it relates to such medical practitioners as possess the medical qualifications included in Part I of the Third Schedule shall be the electoral roll for the electorate specified in section 3(1) (d). Each Registrar of a State Medical Council shall inform the Returning Officer, within 60 days of the receipt of a notice for election, of all additions and realterations in the said Register to make it up-to-date. Copies of the Register and the list or lists, if any, shall be pasted at the offices of the Returning Officer and of the State Medical Councils.

5. The Returning Officer shall call upon persons included in the electoral roll to elect such number of members as the Council may specify.

6. If any question arises as to whether a person is or is not entitled to vote in the election or to stand for the election, the question shall be referred to the Returning Officer whose decision shall be final.

7. The Returning Officer shall appoint and shall notify in the Official Gazette and in such other manner as he thinks fit. the date, time and place for—

(a) the receipt of the nomination papers and their scrutiny;

(b) the despatch of voting papers to the electors;

(c) the poll; and

(d) the scrutiny and counting of votes.

8. Any person qualified to stand for election under these rules may be nominated as a candidate for election. Such nomination shall be

made by means of a nomination papers in Form I, which shall be supplied by the Returning Officer to any elector who may apply for the same.

9.(1) Every nomination paper shall be subscribed by two electors as proposer and seconder:

Provided that no elector shall subscribe more nomination papers than there are seats to be filled up:

Provided further that if more than the prescribed number of nomination papers be subscribed by the same elector, the prescribed number of nomination papers first received by the Returning Officer shall, if otherwise in order, be held to be valid and if more than the prescribed number of nomination papers signed by the same elector be received simultaneously by the Returning Officer, all such nomination papers shall be held to be invalid.

(2) On receipt of each nomination paper, the Returning Officer shall forthwith endorse thereupon the date and hour of receipt.

10. A nomination paper which is not received before the date and the time apointed in that behalf shall be rejected.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992